

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग- 10

लखनऊ: दिनांक 27 फरवरी, 2024

विषय:- सर्पदंश न्यूनीकरण तथा नाव दुर्घटना से बचाव संबंधी शार्ट वीडियो/डाक्यूमेंट्री के निर्माण हेतु सन टीवी तथा न्यूज 18 पर व्यय होने वाली धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 5019/रा0आ0का0/2023-24 दिनांक 29 दिसम्बर, 2023 जिसके माध्यम से कैपेसिटी बिल्डिंग मद में धनराशि रु० 12,80,300/- की मांग की गयी है, का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शार्ट वीडियो/डाक्यूमेंट्री के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग (मानक मद-11) से रु० 12,80,300/- (रुपये बारह लाख अस्सी हजार तीन सौ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश के निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम एवं शर्तें-

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।
- (2) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।
- (3) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का राहत आयुक्त कार्यालय में लेखा-जोखा रखा जाये।
- (5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं०-2/1-11-2013 - रा०-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं०-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 12,80,300/-(रूपये बारह लाख अस्सी हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

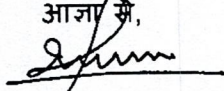
भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या- 16/एक-10-2024.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: -

- 2- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- विशेष सचिव / नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र० ।
- 6- कोषाधिकारी / मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, लखनऊ।
- 8- वित्त (व्यय - नियंत्रण) अनुभाग- 5
- 9- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-29/02/2024

प्रेषण संख्या:- 16
आवंटन आदेश संख्या:- 002-16
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं०, लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	1280300 160214107	1280300 160214107
	योग	वर्तमान प्रगामी	1280300 160214107	1280300 160214107

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया बारह लाख अस्सी हजार तीन सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सोलह करोड़ दो लाख चौदह हजार एक सौ सात

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन